

17/4/25

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

17/4/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपर
 वकील रेस्पो. सं. पक्ष 6 की मोर से
 पेश धारणा पत्र दिनांक 26/3/23 पर उभय-
 पक्ष अधिवक्ता की बड़प खुनी गई। वकील
 रेस्पो. ने धारणा पत्र में वर्णित तथ्यों के
 दोषगत हुए निवेदन दिया कि अपीलार्थ
 द्वारा अपील पेश करने से पूर्व अपने
 118 डिमेंड की भूमि को अलग-अलग तीन
 राजस्व ववशीयनामा दिनांक 31/01/2021
 के जरिये हस्तान्तरण कर दी है जिन
 ववशीयनामा की नकले अपीलार्थ स्वयं
 द्वारा अपील में पेश की है जिनमें अपीलार्थ
 के कोई हक अधिकार नहीं रहे है। अपीलार्थ
 निर्णय व डिमी में वर्णित आगजी से अपीलार्थ
 पीडित पक्षकार नहीं है। अतः अपील खारिज
 की जावे। अपीलार्थ की मोर से धारणा
 पत्र का जवाब दिये बिना रेस्पो. की बड़प का
 विशेष दिया। बड़प पर मनन दिया एवं धारणा
 पत्र का अवलोकन किया। अपील में अपीलार्थ
 द्वारा अपने डिमेंड की भूमि को अलग-
 अलग जरिये राज. ववशीयनामा से अपील
 पेश से पूर्व ही दिनांक 31/01/21 के हस्तान्तरण
 कर दी है। जिनमें अपीलार्थ फलने व
 डिमी दिनांक 01/04/2023 में वर्णित आगजी का
 हिलबूद्ध पक्षकार नहीं होने अपीलार्थ द्वारा
 पेश अपील पोषनीय नहीं है। रेस्पो. द्वारा
 प्रस्तुत धारणा पत्र दिनांक 26/3/23 के दिया
 स्वीकार दिया जाकर अपीलार्थ द्वारा पेश
 अपील पोषनीय नहीं होने से खारिज की
 जाती है। पत्रावली फलने सुधार डेड नमर में
 कम डेड दायित्व फलने है।

राजस्व अधिकारी